

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 192]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 31 मार्च 2011—चैत्र 10, शक 1933

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2011

क्र. 9366-वि.स.-विधान-2011.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 64 के उपबन्धों के पालन में मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 16 सन् 2011) जो विधान सभा में दिनांक 31 मार्च, 2011 को पुरः स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

डॉ. ए. के. पयासी,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १६ सन् २०११

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, २०११

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० को और संशोधित करने हेतु विधेयक

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, २०११ है.

धारा ५३ का
संशोधन.

२. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ५३ में,—

(एक) उपधारा (१) में, चतुर्थ परन्तुक का लोप किया जाए;

(दो) उपधारा (१३) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात्:—

“(१४) (क) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी सहकारी बैंक की दशा में, यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वैसी अपेक्षा की जाए, रजिस्ट्रार द्वारा, संचालक मंडल या प्रबंध निकाय को (चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो) हटाने के लिये तथा सहकारी बैंक के कामकाज का प्रबंध करने के लिए कुल मिलाकर पांच वर्ष से अनधिक की उतनी कालावधि या कालावधियों के लिए प्रशासक नियुक्त करने के लिए जितनी कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए, आदेश किया जाएगा और इस प्रकार नियुक्त किया गया प्रशासक अपनी पदावधि का अवसान हो जाने के पश्चात् भी नई समिति का प्रथम सम्मेलन आयोजित होने के दिन से अव्यवहित पूर्व की तारीख तक पद पर बना रहेगा.

(ख) प्रशासक की इस प्रकार नियुक्ति हो जाने पर, उपधारा (४) और (५) के उपबंध उस पर भी लागू होंगे.

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपेक्षित किए जाने पर किसी ऐसे आदेश के विरुद्ध जो खण्ड (क) में निर्दिष्ट है, कोई अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन नहीं होगा या अनुज्ञेय नहीं होगा तथा ऐसा आदेश किसी भी रीति में प्रश्नगत किए जाने का दायी नहीं होगा.”

धारा ५९ का
संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ५९ में, उपधारा (५) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात्:—

“(६) (क) रजिस्ट्रार जांच पूरी होने की तारीख से एक मास की कालावधि के भीतर निम्नलिखित को जांच की रिपोर्ट संसूचित करेगा,

(एक) संबंधित सोसाइटी को;

(दो) आवेदकों को या ऐसी रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए आवेदकों द्वारा प्राधिकृत किए गए किसी व्यक्ति को,

(ख) जांच की रिपोर्ट मांग की जाने पर,

(एक) सोसाइटी के किसी सदस्य को;

(दो) उस संघ को, जिसकी कि सोसाइटी सदस्य है;

(तीन) लेनदार को भी,

विहित फीस के साथ आवेदन प्रस्तुत करने से एक मास के भीतर प्रदाय की जाएगी.”

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) के उपबंधों के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी से अध्यपेक्षा की जाने पर सहकारी बैंकों के संचालक मण्डल के विरुद्ध अविलम्ब सख्त कार्रवाई करने की दृष्टि से तथा इस अधिनियम के अधीन की गई किसी जांच की जांच रिपोर्ट आवेदक को तथा संबंधित सोसाइटी को संसूचित किए जाने की दृष्टि से मूल अधिनियम में कतिपय संशोधन आवश्यक हो गए हैं.

२. उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से निम्नलिखित विशेषताओं वाला यह विधेयक प्रस्तावित है :—

- (१) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार सहकारी बैंकों के संचालक मण्डल के विरुद्ध कार्रवाई करने में विलम्ब से बचने की दृष्टि से धारा ५३ (१) के चतुर्थ परन्तुक का लोप कर दिया गया है.
- (२) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लोक हित में अपेक्षित किए गए अनुसार किसी सहकारी बैंक के संचालक मण्डल को अतिष्ठित करने के लिए रजिस्ट्रार को सशक्त करने अथवा बैंकों के निक्षेपकर्ताओं के हितों के अपायकर रीति में किए जा रहे कामकाजों को रोकने के लिए अथवा बैंक का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए तथा प्रशासक नियुक्त करने के लिए धारा ५३ में एक नई उपधारा (१४) जोड़ी गई है.
- (३) संबंधित सोसाइटी तथा आवेदक को जांच रिपोर्ट संसूचित किए जाने का उपबंध करने के लिए धारा ५९ को यथोचित रूप से संशोधित किया गया है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तारीख २८ मार्च, २०११.

गौरी शंकर बिसेन
भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण संबंधी ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड ३ के द्वारा जांच—रिपोर्ट की मांग किए जाने पर फीस निर्धारण संबंधी विधायनी शक्ति राज्य सरकार को प्रत्यायोजित की गई है.

उक्त प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप का होगा.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 213]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 2 अप्रैल 2011—चैत्र 12 शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2011

क्र. 2164-130-इक्कीस-अ (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 16 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL**No. 16 of 2011****THE MADHYA PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) BILL, 2011****A Bill further to amend the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-Second Year of the Republic of India as follows:—

Short title. 1. This Act may be called the Madhya Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 2011.

Amendment of Section 53. 2. In Section 53 of the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961) (hereinafter referred to as the Principal Act),—

(i) in sub-section (1), fourth proviso shall be omitted;

(ii) after sub-section (13), the following new sub-section shall be added, namely:—

“(14) (a) Notwithstanding anything contained in this Act, in the case of any Co-operative Bank, if so required by the Reserve Bank of India, an order shall be made by the Registrar for the removal of the Board of directors or managing body (by whatever name it is called) and for the appointment of an administrator, to manage the affairs of the co-operative Bank, for such period or periods, not exceeding five years in the aggregate, as may from time to time be specified by the Reserve Bank of India, and the administrator so appointed shall continue to remain in office even after the expiry of his term of office till the date immediately preceding the day of holding the first meeting of the new committee. (b) On such appointment of an administrator, the provisions of sub-sections (4) and (5) shall also be applicable on him. (c) No appeal, revision or review shall lie or be permissible against an order such as is referred to in clause (a) made on the requisition of the Reserve Bank of India and such order shall not be liable to be called in question in any manner.”.

Amendment of Section 59. 3. In Section 59 of the Principal Act, after sub-section (5), the following new sub-section shall be added, namely:—

“(6) (a) The Registrar shall, within a period of one month from the date of completion of inquiry, communicate the report of the inquiry,—

(i) to the society concerned;

(ii) to the applicants or the person authorized by the applicants to receive such a report.

(b) The report of inquiry shall also be supplied on being demanded by—

(i) any member of a society;

(ii) Federation of which the society is a member;

(iii) creditor,

within one month from presenting an application along with prescribed fee.”.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to take stern action without any delay against the Board of Directors of Cooperative Banks on the requisition being made by the Reserve Bank of India to Registrar Cooperative Societies under the provisions of the Madhya Pradesh Cooperative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961), and in order to communicate inquiry report of any inquiry being conducted under this Act to the applicant and the society concerned, certain amendments have become necessary in the Principal Act.

2. In order to achieve the aforesaid objects, this Bill is proposed having the following salient features:—

- (1) Fourth proviso of Section 53(1) has been omitted to avoid delay in taking action against the Board of Directors of Cooperative Banks as required by the Reserve Bank of India.
- (2) New sub-section (14) has been added in Section 53 to empower the Registrar to supersede the Board of Directors of any Cooperative Bank as required by the Reserve Bank of India in the public interest or for preventing the affairs of the Bank being conducted in a manner detrimental to the interest of the depositors or for securing the proper management of a Bank and to appoint an administrator.
- (3) Section 59 is suitably amended to make provision for communicating the inquiry report to the society concerned and the applicant.

2. Hence this Bill.

Bhopal :

Dated the 28th March, 2011

GAURI SHANKAR BISEN
Member-in-Charge.